उच्च शिक्षा के भविष्य का पुनर्निर्माण : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के सन्दर्भ में

डॉ0 रीना श्रीवास्तव
असि0 प्रोफेसर, शिक्षा विभागए नेशनल पी0जी0 कॉलेज, लखनऊ

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, 34 वर्ष बाद घोषित की गयी है जिसे मौजूदा समय में लागू किया जा रहा है। इसमें एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली की संकल्पना प्रस्तुत की गयी है, जिसमें हर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठ भूमि के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा न्यायसंगत ढ़ग से मिल सके। वर्तमान NEP-2020 संयुक्त राष्ट्र के संवहनीय विकास लक्ष्य–4 के अनुरूप है साथ ही भविष्योन्मुखी है। इस नीति में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के विकास के कई महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं। इस शोधपत्र में शोधकर्ती ने द्वितीयक आंकड़ों के माध्यम से उच्च शिक्षा के गुणात्मक स्तरों के बिन्दु जो NEP-2020 में अंकित हैं, उनको दर्शाना चाहा है।

संकेत शब्द *– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020, गुणात्मकता, भविष्योन्मुखी शिक्षा।*

प्रस्तावना :–

नेल्सन मंडेला जी का कथन है कि– ''**शिक्षा सबसे ताकतवर हथियार है, जिसका इस्तेमाल आप दुनिया बदलने के लिए कर सकते है।**''

यह उक्ति यह इंगित करती है कि शिक्षा का कितना अधिक महत्व है। जब बात भारत के संदर्भ में कही जाये तो यह तथ्य और भी सार्थक प्रतीत होता है, क्योंकि एक युवा लोकतंत्र के रूप में भारत बहुत तेजी से प्रगति की राह पर है। आज भारत को तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के रूप में ही नहीं बल्कि उपयुक्त एवं शिक्षित व्यक्तियों वाले शक्तिशाली मानव संसाधन के विशाल समूह के रूप में भी अंतराष्ट्रीय मंच पर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त है, किन्तु इस विकास की तस्वीर का एक दूसरा रूप भी भारत मे विद्यमान है और वह यह है कि शिक्षा प्राप्त करना कई लोगों के लिए अभी तक सपना ही बना हुआ है। शिक्षा, जो पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित है वो छात्र–छात्राओं को उनके व्यवहारिक ज्ञान से अनभिज्ञ रखती है, उनका शिक्षा प्राप्त करा ज्ञान व्यवहारिक जीवन से मेल नही खाता। शिक्षा की इन्ही विसंगतियों के रहते भारत की उच्च शिक्षा अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक श्रेणी के दायरे में उच्च स्थान प्राप्त करने में असफल रहती है। यूँ तो शिक्षा को गुणात्मकता मिले, शिक्षा विद्यार्थियों के विकास पथ में सहायक हो इसके लिए स्वतंत्रता के बाद से कई सार्थक प्रयास किये गये। इसी श्रृंखला में आयोगों की स्थापना हुयी, नीतियाँ बनी, जिनसे कई सार्थक परिणाम भी भी दृष्टिगोचर हुए, पर इस सत्य को भी नकारा नहीं जा सकता कि भारत में भी परिवर्तन की दिशा का रूख बहुत तीव्र है, तेजी से बढ़ता विकास ,तेजी से बदलता समय हर दिन एक नये परिवर्तन को ला खड़ा करता है। वर्तमान में भी ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। मशीन अधिगम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के नये मार्ग प्रतिदिन खुल रहे हैं, अतः भारत के शिक्षा तंत्र को हर पल तैयार रहना होगा। तैयारी की इसी श्रृंखला में हमारे समक्ष 34 वर्ष बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का आना हुआ है।

इस नीति के आने के साथ ही भारत की शिक्षा प्रणाली में भी 21वीं शताब्दी के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप बदलावों का एक अहम् सिलसिला प्रारम्भ हो गया है। इस नीति के सम्पूर्ण दस्तावेजों मे भारत की शिक्षा प्रगति की अच्छे ढंग से चिंता की गई है। यह नीति परम्परागत शिक्षक केन्द्रित शिक्षा नीति के स्थान पर विद्यार्थी केन्द्रित नई व्यवस्था की बात करती है। विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता के विकास की बात

करती है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को मात्र साक्षर बना देना नहीं वरन् शिक्षा द्वारा उनमें सामाजिक तथा भावनात्मक कौशल को भी विकसित करना है। वैसे तो इस शिक्षा नीति ने शिक्षा के सम्पूर्ण ढांचे यानि पूर्व प्राथमिक से उच्च स्तर तक के विकास को एक नया प्रारूप प्रदान किया गया है। किन्तु नीति में भारतीय उच्चतर शिक्षा व्यवस्था हेतु एक नया भविष्योन्मुख दृष्टिकोण अपनाया गया है क्योंकि उच्चतर शिक्षा मनुष्य और साथ ही, सामाजिक कल्याण के विकास एवं आर्थिक विकास में महति भूमिका निभाती है। यह राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है।

चार्ल्स बी0 रंगेल का कथन है कि– **''हमारे सामूहिक भविष्य की सफलता के लिए हमारे युवाओं के लिए उच्च शिक्षा का प्रोत्साहन महत्वपूर्ण है।''**

साथ ही ऐडमग्रांट ने बताया कि– **''उच्च शिक्षा के अंक वह ज्ञान नहीं है जो आप अपने सिर में जमा करते हैं। यह वह कौशल है जिसे आप सीखने के तरीके के बारे में प्राप्त करते हैं।''**

अतः उच्च शिक्षा की महत्ता सर्वविदित है किन्तु वर्तमान में भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली मे कुछ प्रमुख समस्यायें इस प्रकार व्याप्त हैं, जिनका जिक्र भी इस नीति में किया गया है–

- गंभीर रूप से खण्डित उच्चतर शैक्षिक परिस्थितिकी तंत्र।
- संज्ञानात्मक कौशल के विकास और सीखने के परिणामों पर कम बल।
- विषयों का एक कठोर विभाजन, विद्यार्थियों को बहुत पहले ही विशेषज्ञ और अध्ययन के संकीर्ण क्षेत्रों की ओर ढकेल देना।
- सीमित पहुँच, विशेष रूप से सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में जहाँ कुछ एक ही ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो स्थानीय भाषाओं में पढ़ाते हैं।
- सीमित शिक्षक और संस्थागत स्वायत्तता।
- योग्यता आधारित करियर प्रबन्धन और संकाय और संस्थागत लीडरों की प्रगति के लिए अपर्याप्त तंत्र।
- अधिकांश विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शोध पर कम बल और विषयक अनुशासनों में पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी समीक्षा शोध विधियों की कमी।
- उच्चतर शिक्षा संस्थानों में गवर्नेंस और नेतृत्व क्षमता का अभाव।
- एक अप्रभावी विनियामक प्रणाली।
- बहुत सारे संबद्ध विश्वविद्यालय, जिनके परिणामस्वरूप अवर (JUNIOR) स्नातक शिक्षा के निम्न मानक।

स्त्रोत – राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाग–2; 9.2

अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 उपरोक्त बताई गई समस्याओं के समाधान हेतु सुझावों की एक श्रृंखला प्रस्तुत करने हेतु कटिबद्ध है साथ ही यह नीति गुणवत्तापूर्ण, समान अवसर देने वाली, समावेशी उच्चतर शिक्षा की बात कहती है। अतः हम नीति के आगमन से निश्चित रूप से उच्चतर शिक्षा प्रणाली में आमूल–चूल बदलाव आयेंगे, जिससे भारत के सभी युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर मिलेंगे जिससे वे प्रत्यक्ष रूप से देश के राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान दे पायेंगे। शिक्षा जो भविष्य के निर्माण की बात करती है, वही शिक्षा देश की उच्च शिक्षा के भविष्य को भी सुनहरा करेगी।

सुदृढ़ तथा प्रभावशील भविष्य सदैव वर्तमान में किये गये सार्थक कदमों/प्रयासों के साथ जुड़ा होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में उच्च शिक्षा के सुदृढ़ भविष्य के निर्माण हेतु निम्नलिखित सार्थक पहलों के क्रियान्वयन की बात कही गयी है–

उच्च शिक्षा के भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु :–

संस्थागत पुनर्गठन और समेकन
समग्र और बहु–विषयक शिक्षा
सर्वोत्तम वातावरण एवं छात्र–सहयोग
प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय
उच्च शिक्षा में समता और समावेश
अध्यापक शिक्षा
व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन
गुणवत्तायुक्त अकादमिक अनुसंधान
नियामक प्रणाली में आमूल–चूल परिवर्तन
प्रभावी प्रशासन एवं नेतृत्व

ये सभी बिन्दु अपने विस्तृत विवरण हेतु इस प्रकार है–

संस्थागत पुनर्गठन और समेकनः–

नई शिक्षा नीति के इस सार्थक प्रयास के अन्तर्गत वर्तमान में व्याप्त उच्च शिक्षा संस्थाओं के विखंडन को समाप्त करना है, जिसमें एक उच्चतर शिक्षा संस्थान (HEI) अर्थात् एक विश्वविद्यालय या एक कॉलेज गठन शामिल है। विश्वविद्यालय का आशय एक ऐसा बहु–विषयक संस्थान की स्थापना से है। जो उच्च स्तरीय अधिगम के लिए शिक्षण तथा शोध के लिए कार्यरत होगा। कॉलेजों को ग्रेडेड स्वायत्तता देने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली स्थापित की जायेगी। जिनके कुछ न्यूनतम मानक निर्धारित होंगे। धीरे–धीरे सभी महाविद्यालय या तो डिग्री प्रदान करने वाले स्वायत्त महाविद्यालय बन जायेंगे या किसी विश्वविद्यालय के अंग के रूप में विकसित होंगे।

शिक्षण तथा शोध के अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा संस्थायें यानि HEI कुछ अन्य महत्वपूर्ण दायित्वों का भी निर्वाह करेंगी, जैसे–

- अन्य HEI को विकसित तथा स्थापित करने में सहयोग।
- सामुदायिक सहभागिता और सेवा।
- कार्यप्रणाली के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान।
- प्राध्यापकों की योग्यता का विकास तथा स्कूली शिक्षा में योगदान।

2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों का उद्देश्य बहु–विषयक संस्थाओं के रूप में अपने को स्थापित करना होगा। इस नीति में दूरस्थ शिक्षा के विकास हेतु संस्थानों के लिए दिशा निर्देश है कि उन्हें अपने कार्यक्रमों की सीटें, पहुँच और सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने एवं जीवनपर्यन्त सीखने के अवसरों को उपलब्ध कराने हेतु मुक्त दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन कोर्स को संचालित करने का अवसर होगा।

इस नीति द्वारा संस्थानों की स्वायत्तता को भी बढ़ावा दिया गया जिससे 15 वर्षों के अंतराल में धीरे–धीरे संबद्ध कॉलेज प्रणाली समाप्त होगी।

समग्र और बहुविषयक शिक्षाः–

इस नीति में प्राचीन काल में प्रचलित बहु–विषयक तरीके से सीखने की परम्परा को अपनाने की बात कही गयी है। ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकासः कला, मानविकी, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यावसायिक, तकनीकी, सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता, व्यावहारिक कौशल (SOFT SKILLS) जैसे– सम्प्रेषण, चर्चा, वाद–विवाद की विशेषज्ञता में मदद करेगी। कला और मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे। इस तरह वर्तमान में व्याप्त कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर छात्र को आजीवन सीखने के अवसर मिलेंगे। कठोर विशेषज्ञता के अतिरिक्त छात्रों को पाठ्यक्रमों में लचीलापन, नये और रोचक कोर्सेस के विकल्प दिये जायेंगे।

उच्च शिक्षा में डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना में भी बदलाव किया जायेगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वष की अवधि की होगी। उपयुक्त प्रमाण–पत्र के साथ निकास सम्भव है, जैसे एक साल पूरा होने पर सर्टिफिकेट, दो साल पूरा होने पर डिप्लोमा या तीन साल के कार्यक्रम के बाद डिग्री। चार वर्षीय कार्यक्रम में शोध सहित डिग्री प्राप्त होगी।

सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण व छात्र सहयोगः–

शिक्षण–अधिगम की सफलता बहुत कुछ शैक्षिक वातावरण एवं छात्र सहभागिता एवं सहयोग के साथ जुड़ी होती है। उपयुक्त एवं प्रभावपूर्ण वातावरण हर स्तर के विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस नीति में इस सन्दर्भ में निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर दिया गया–

- पाठ्यक्रम रोचक तथा प्रासंगिक होना चाहिए।
- समय–समय पर पाठ्यक्रम को अद्यतन करना।
- आकलन के तरीके वैज्ञानिक होने चाहिए।
- संस्थानों में उपयुक्त बुनियादी ढांचा तथा संसाधन।
- सभी संस्थानों में मुक्त दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन।
- विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली सी0बी0सी0एस0 में संशोधन।
- एक मानदंड आधारित ग्रेडिंग प्रणाली।
- सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की उच्चतर शिक्षा तक पहुँच।
- व्यावसायिक एवं करियर परार्मश।
- उच्चतर शिक्षा में अन्तर्राष्ट्रीयकरण।
- विदेशी संस्थानों के साथ अनुसंधान/शिक्षण सहयोग।
- छात्रों को वित्तीय सहयोग।

प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकायः–

संस्थानों की सफलता कार्यरत संकायों की गुणवत्ता तथा संलग्नता के साथ जुड़ी होती है, यह नीति इस संदर्भ में निम्न प्रयासों की अनुशंसा करती है–

- संकायों की नवीनतम शैक्षणिक प्रौद्योगिकी तक पहुँच।
- संकाय सदस्यों को पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप से निर्मित करने की स्वतंत्रता।
- संकाय सदस्यों की भर्ती से सम्बन्धित प्रक्रियाओं में पारदर्शिता।

उच्चतर शिक्षा में समता और समावेशः–

यह नीति SEDG पर विशेष जोर देते हुए सभी छात्रों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समान पहुँच सुनिश्चित करती है तथा निम्नलिखित अनुशंसा रखती है–

- समुचित सरकारी निधि का निर्धारण।
- प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर–संतुलन को बढ़ावा।
- सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के संस्थानों को अधिक वित्तीय सहायता।
- प्रवेश प्रक्रिया को समावेशी बनाना।
- भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ बने सभी नियमों को सख्ती से लागू करना।

अध्यापक शिक्षाः–

भविष्य में अच्छे अध्यापकों की टीम के निर्माण में अध्यापक शिक्षा बहुत जरूरी है। सभी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को समग्र बहु–विषयक संस्थानों में ही आयोजित किया जाये, ऐसा नई शिक्षा नीति द्वारा कहा गया है। अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यों को अपनाने की बात कही गयी है–

- वर्ष 2030 तक सभी एकल शिक्षक शिक्षा के संस्थानों को बहु–विषयक संस्थानों के रूप में बदलने की आवश्यकता, ताकि 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित हो सके।
- मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों की स्थापना।
- अध्यापक शिक्षा वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- पूर्व–सेवा शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा।
- सभी नये पी0एच0डी0 प्रवेशकर्ताओं, चाहे वे किसी विषय में प्रवेश लें, उनसे यह अपेक्षित होगा कि वे अपने पी0एच0डी0 विषय से सम्बन्धित शिक्षण शिक्षा/अध्यापन आधारित पाठ्यक्रम लें, ऐसा सम्भव हो सकता है कि कई शोध विद्वान अपने विषयों के संकाय सदस्य या संचारक बनेंगे।
- सेवारत सतत् व्यावसायिक विकास का प्रशिक्षण मौजूदा संस्थागत व्यवस्था से ही जारी रहेगा।
- शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
- सलाह (मेटरिंग) के लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया जायेगा।

व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पनः–

भारत में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्ति की दर अन्य देशों की तुलना काफी कम है, कारण है व्यावसायिक शिक्षा का स्पष्ट मार्ग न होना अतः इस शिक्षा को पुनर्कल्पित किये जाने की परम आवश्यकता है–

- व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत किया जाये।
- माध्यमिक विद्यालय, आई0टी0आई0, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों के साथ सम्पर्क एवं सहयोग करेंगे।
- स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएँ भी स्थापित की जायेंगी।
- ODL मोड के माध्यम से भी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित किया जायेगा।
- व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (NCIVE) का गठन।

नवीन NRF के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को उत्प्रेरित करनाः–

विकास सीधे रूप में ज्ञान सृजन तथा अनुसंधान के साथ जुड़ा होता है, किन्तु चिन्तनीय तथ्य यह है कि भारत में अनुसंधान तथा नवाचार पर निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल तथा दक्षिण कोरिया की तुलना में जी0डी0पी0 का केवल 0.69 प्रतिशत है। अतः उच्चतर शिक्षा के संस्थानों/विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा मिलना चाहिए तथा इस हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जाये–

- (NRF) राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना।
- ऐसे संस्थान जो वर्तमान में किसी स्तर पर अनुसंधान निधि प्रदान करते हैं, वे अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से निधिगत अनुसंधान देते रहेंगे।

उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में परिवर्तनः—

नियामक प्रणाली में परिवर्तन के रूप में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) के तहत 4 स्वतंत्र व्यवस्थायें स्थापित की जायेंगी।

- ➢ राष्ट्रीय उच्चतर विनियामक परिषद्।
- ➢ मेटा—अक्क्रेडिटिंग निकाय, जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् (NCA) के नाम से जाना जायेगा।
- ➢ उच्चतर शिक्षा अनुसंधान परिषद (HEGC) का गठन।
- ➢ सामान्य शिक्षा परिषद् (GEC) का गठन।

इस प्रकार नए गुणवत्ता पूर्ण उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना बहुत आसान हो जायेगा।

उच्चतर शिक्षण संस्थानों के प्रभावी प्रशासन एवं नेतृत्वः—

उच्चतर शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता मजबूत स्वशासन एवं संस्थागत मुखिया की योग्यता पर आधारित होती है अतः संस्थानों में सभी नेतृत्व पदों और संस्थान प्रमुखों के लिए उच्चतर शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्तियों को चुना जायेगा जिनमें मजबूत सामाजिक प्रतिबद्धता, विविधता, विभिन्न लोगों के साथ कार्य करने की दक्षता/क्षमता होनी चाहिए।

उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव एवं प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे।

निष्कर्षः—

इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के उच्च शिक्षा संबंधी सभी दिशा—निर्देश अत्यन्त व्यापक एवं दीर्घकालिक है। इनमें विकास हेतु जो सुझाव बताये गये है, उनके तौर—तरीकों में व्यावहारिकता विद्यमान है। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शैक्षिक सुधारों के ऐजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है ताकि व्यावहारिकता क्रियान्वयन का रूप धारण कर सके। इसका लक्ष्य उच्च शिक्षा की बुनियाद को मजबूत बनाना है ताकि भारत की उच्च शिक्षा भविष्योन्मुखी बनकर विश्व शैक्षिक पटल पर अपना स्थान निश्चित कर सके तथा भारत को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक तौर पर अग्रणी स्थान मिले।

सन्दर्भ सूची :—

शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली. (2020). राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020. शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली. पृष्ठ—52—80.

कस्तूरी, आर. (2021). एन आई ई पी ए, 2020. शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली. पृष्ठ—114.

कस्तूरी, आर. (2021). लिबरल एजुकेशन'—ए ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इनीशिऐटिव 15वाँ स्थापना दिवस व्याख्यान. एन.आई.ई.पी.ए, नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी) 2020. https://www.education.gov.in/sites/upload-files/mhrd/files/NEP-Final-English_o.pdf

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी) 2020 https://leverageedu_com.translate.goog/blog;importance_of_higher_education/?

How to cite reference of this paper-

श्रीवास्तव, आर. (2023). उच्च शिक्षा के भविष्य का पुनर्निर्माणः नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के सन्दर्भ में. *Educational Metamorphosis, 2*(2), 101-106.